MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session the time for the presentation of the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege against Shri Jagjit Singh erstwhile President of the New Friends Co-operative House Building Society Ltd. New Delhi. regarding a letter purported to have been written by him to the Lt. Governor of Delhi on the 7th May, 1974, allegedly, casting aspersions on Parliament".

The motion was adopted.

---

16.15 hrs.

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
### FORTY-NINTH REPORT

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B. SHANKARANAND): I move:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 19th November 1974".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 19th November 1974".

The motion was adopted.

---

16.16 hrs.

## INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up further consideration of the following motion moved by Shri Shankar Dayal Sharma on the 18th November 1974, namely:—

"That the Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Shri Chandrakar was on his legs. I thought it was a simple Bill. I never knew that it would take so long a time.

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): Not so simple.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can make it complicated, you can make it simple. If you want to discuss the entire working of the Indian Telegraph Department, it is a different matter. They only seek to legalise the levy of certain fees.

SHRI NOORUL HUDA: Illegal levy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They want to legalise it by levying some fee on application forms.

SHRI NOORUL HUDA: That is quite objectionable.

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जो लोग टेलीफोन के लिए दरख्वास्त देते हैं उन से फार्म के दस रुपये लिए जाते हैं। यह ठीक ही है। मैं इसके पक्ष में हूं। कोई अगर कार खरीदना चाहता है तो उसको भी पैसा जमा करवाना पड़ता है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि जो बड़े शहर हैं, जिनकी आबादी पांच लाख से अधिक है वहां टेलीफोन मांगने वालों से कहा जाना चाहिए कि वे पांच सौ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमा कराएं। इस तरह से आपके पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा जो कि आप के काम में आ सकता है, यंत्र इत्यादि खरीदने के काम में आ सकता है, और ज्यादा टेलीफोन्ज की सुविधाएं प्रदान करने के काम में आ सकता है। अभी तक ओन योअर टेलीफोन में यह व्यवस्था है कि लोगों को पांच हजार रुपया देना पड़ता है फिर भी उनको बहुत अर्से तक इंतजार करने के बाद ही टेलीफोन मिलता है। कुछ बड़े बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं

जिनको टेलीफोन की बहुत आवश्यकता होती है। उन से अगर आप पांच हजार से ज्यादा या दस हजार भी जमा करवाने को कहें तो वे करवा देंगे। ऐसा करने से एक लाभ यह होगा कि उनको जल्दी टेलीफोन मिल जाएगा जिसकी उनको जरूरत भी होती है और आपको भी जो धन की कमी है उसकी कुछ हद तक पूर्ति हो जाएगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंसर्न होते हैं वे आसानी से यह राशि जमा करवा सकते हैं और करवा देंगे। इस तरह से हम टेलीफोन यन्त्रों पर अधिक पैसा खर्च कर सकेंगे।

छोटे छोटे गांव जिनकी आबादी चार पांच या दस हजार होती है, उनको मैं चाहता हूं कि टेलीफोन देने के मामले में तथा पी सी ओज देने के मामले में आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। वेटिंग लिस्ट में जो छोटी छोटी जगहें होती हैं उनको बहुत अर्से तक पड़े रहना पड़ता है। छोटी सी मंडी हुई, बाजार हुआ वहां की मांग पड़ी रहती है और बहुत देर बाद उसकी पूर्ति होती है। हिन्दुस्तान में कई इस तरह के इलाके हैं। मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी की बात जानता हूं। जिन कस्बों की पांच छः हजार आबादी है जैसे धमदा, गुंडरदेही उनकी मांगें बहुत अरसे से पड़ी हुई हैं। आपके पास इस तरह से पैसा आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि उनकी मांग को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि गांव वालों की जो मांग होती है टेलीफोन की, उसको भी प्राथमिकता वह दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल शहरों की मांग की ही पूर्ति हो, बड़े शहरों की मांग की ही पूर्ति हो हालांकि वहां भी टेलीफोन की मांग बहुत ज्यादा है और वह अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन साथ ही गांवों के क्षेत्र में टेलीफोन लगाने की व्यवस्था में जो दिक्कत है, उस को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

यह भी देखा जाता है कि एक ही जिले में पच्चीस, तीस या चालीस मील पर, जैसे दुर्ग से राजनांदगांव या दुर्ग से बालोद, ट्रंक-काल किया जाता है, तो भी कुछ सुनाई नहीं देता है। मेरे क्षेत्र में बालोद में डेढ़ साल से टेलीफोन लगा हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेलीफोन पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है।

मध्य प्रदेश में जबलपुर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां अभी भी मैनुअल सिस्टम से काम होता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Would you not leave all these arguments to be advanced at the time when the demands for the Ministry of Communications come up. We are not discussing the working of the department the working of the telephones

SHRI R. S PANDEY (Rajnandgaon): The hon Member is right.... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everything is right except that it comes at the wrong time.

श्री बाबूलाल जमादार : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जबलपुर पांच छ. लाख की आबादी का बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां अभी तक मैनुअल टेलीफोन सिस्टम है। वहां आटोमेटिक सिस्टम के लिए बिल्डिंग बन चुकी है और यंत्र आ चुका है, लेकिन वह डेढ़ दो साल से पड़ा हुआ है। वह कि लोगों के साथ यह बहुत ज्यादती है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि चार पांच हजार की आबादी के जिन गांवों से टेलीफोन की मांग हो, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मैं इस मंत्रालय से यह भी अनुरोध करूंगा कि गांवों में डाकखाने खोलने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will Mr. Madhu Limaye show a model of relevancy to this Bill?

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का बहुत सीमित उद्देश्य है । संचार मंत्रालय के द्वारा टेलीफ़ोन के लिए आवेदन पत्र दस पर रुपए की फ़ीस लगाई गई थी । मैंने पिछले बजट सत्र में भी यह सवाल उठाया था कि बिना पार्लियामेंट से अधिकार प्राप्त किये इस तरह की फ़ीस लगाना संविधान का उल्लंघन है—औचित्य के खिलाफ़ तो है ही, लेकिन यह संविधान का भी उल्लघन है ।

वह सरकार बार-बार भूल जाती है कि हमारे संविधान में एक दफ़ा है 265, जो इस प्रकार है :

"No tax shall be levied or collected except by authority of law."

टैक्स की जो परिभाषा है, उस में सभी तरह के टैक्स, इम्पोस्ट और फ़ीस वगैरह सब आ जाते हैं । मंत्रालय की ओर से यही कहा जाता था कि जो नियम बनाये गये है, उन के तहत हमको सभी अधिकार प्राप्त है । लेकिन ये लोग अक्सर जो नियम बनाते है, वे कानून और संविधान के खिलाफ़ होते हैं ।

पांचवी लोक सभा की सबार्डिनट लेजिस्लेशन कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट में इसके बारे में कहा है :

"A Committee known as the telephone committee was set up by the Government in April 1966 for making a sample survey of the commercial working of the telephones department and to examine existing procedures for suggesting changes for giving telephone connections in order to minimise the scope for corruption or malpractice."

इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है कि दस रुपये की फ़ीस लगाना क्यों जरूरी है ।

"(i) to make the waiting list more realistic and to enable correct planning for expansion of the telephone system

(ii) to eliminate unnecessary bogus demands for telephone connections;

(iii) on receipt of the application for a telephone, the department has to incur some expenditure in the registration of the application...." etc.

सरकार ने मैलप्रैक्टिस, करप्शन और अननेसेसरी एंड बोगस डिमांड्स को समाप्त करने और एप्लिकेशन वगैरह के खर्च को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझा कि दस रुपये की फ़ीस लगाई जाये । लेकिन ऐसा करने के लिए संचार मंत्रालय को संविधान और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिये था—मगर उसने उल्लघन किया । सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने 1971 की इस रिपोर्ट में सरकार को फटकारा । और वह यह बिल कब लाती है ? —अप्रैल, 1974 में । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपकी निश्चित आबजर्वेशन चाहता हूं कि 1971 में सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसने अनुच्छेद 265 का उल्लघन किया है, कानून में कोई स्पष्ट अथारिटी नही है, तो भी वह तीन साल तक कानून की मर्यादा को बिल्कुल तोड़ कर लोगों से दस रुपये वसूल करती रही । मंत्री महोदय के प्रेडेसेसरों ने एक मानी में संसद् की मानहानि की है और मैं उपाध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि वह इस के बारे में जरूर कुछ कहें ।

श्री राम सहाय पांडे : इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भिजवा दीजिए ।

श्री मधु लिमये : वह तो होना ही चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप लोग सीधे रास्ते पर नहीं आयेंगे ।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर कहा है :

"The committee note that while rule 414 of the Indian Telegraph Rules, 1951, authorises the Telegraph Authorities to introduce a new application form, it does not confer on that authority and power to levy a charge therefor. The committee are of the opinion that for changing the amount of Rs. 10 per application form, there should have been an express provision in the Rules, backed by an express authorisation in the parent law. The P & T Board have not indicated any provision in the Act from which the power to make the above charge flows. The committee feel that if the Department of P & T want to continue the above charge, the proper course for them is not only to amend the Rules to the necessary effect but also to ensure that an express authorisation for its levy is available in the parent law."

यह बात मैंने औचित्य, इस सदन के अधिकार और संविधान के उल्लंघन के बारे में कही है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : क्या आपका यह व्यक्तिगत खयाल है कि पेयरेट एक्ट में एक्सप्रेस अथारिटी जरूरी है ?

श्री मधु लिमये : बिल्कुल जरूरी है । मेरा खयाल है कि अथारिटी आफ ला होनी होनी चाहिए । रेलवे एक्ट में सरकार को अथाराइजेशन है, लेकिन केवल रूल-मेकिंग पावर के तहत सौ या डेढ़ सौ करोड़ रुपये का किराया बढ़ाना उचित नहीं है, जिसके लिए एक्सप्रेस अथारिटी नहीं है । आप को याद होगा कि जब मैंने इस सवाल को उठाया था, तब मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इंडियन रेलवे एक्ट को माडनाइज करने के बारे में सोच सकते हैं ।

क्या इस संसद् के सदस्य के नाते आप यह कुबूल करेंगे कि केवल एक एक्सीक्यूटिव आर्डर से करोड़ों अरबों रुपयों का टैक्स—किराया या टैक्स, यह सब जनतापर इम्पोस्ट है—लगाया जाये ? मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं । यह दस रुपये की बात है । अगर पेयरेट एक्ट सरकार को पावर देता है, तो वह वसूल करे । लेकिन जब अरबों रुपयों का मामला होता है, तो मैं कानून की अथारिटी भी काफ़ी नहीं समझता हूं । मैं समझता हूं कि अरबों रुपयों का मामला लोक सभा के सामने आना चाहिए । ख़ैर, वह तो एक अलग बात है ।

दस रुपये की एप्लिकेशन फ़ीस लगाकर ये लोग बोगस डिमांड, मैलप्रैक्टिस और करप्शन को हटाना चाहते हैं । ये किसके साथ मज़ाक करना चाहते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि संचार मंत्रालय ने बम्बई में कम से कम दस हजार स्मगलरों और उनके लिंक्स को टलीफ़ोन कनेक्शन दिये हैं ? दस रुपये की अप्लीकेशन फ़ीस .....
(व्यवधान) .....

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Matka kings.

श्री मधु लिमये : इस वक्त स्मगलरों का मामला चल रहा है, मटका किंग्स प्रास्टीच्यूशन और बूट-लैगिंग इन में मैं इस समय नहीं जा रहा हू, उन की अगर मैं गिनती करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी । लेकिन दस हजार स्मगलरों को और उनके लिंक्स को अकेले बम्बई शहर में टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं । तो दस रुपये फ़ीस लगाने से स्मगलरों पर कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि वे तो सौ रुपये भी देने को तैयार हैं क्योंकि सौ रुपये की फ़ीस देकर वे उसके द्वारा लाखों रुपया कमाने वाले हैं । तो इसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

[श्री मधु लिमये]

दूसरा स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि टेलीफ़ोन एडवाइजरी कमेटी जो सभी बड़े शहरों में होती है उनका जब गठन होता है तो सदस्यों की सूची आती है अन्तिम सहमति के लिए, उस समय क्या उस सूची में जो लोग हैं, कभी आप सोचते हैं, जांच करते हैं, नियुक्ति के पहले पूछते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है ? मैं पूछना चाहता हूं संचार मंत्री जी से, वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे है, वह रामलाल नारंग का नाम व जानते हैं ? वह जेल में बन्द है मिसा के तहत, स्मगलर नम्बर 1 है बम्बई का। उसको किसने लिया टेलीफ़ोन एडवाइजरी कमेटी में ? क्योंकि ये दस हजार कनेक्शन तभी दिये जाते है जब स्मगलरों के प्रतिनिधि को कमेटी में लेंगे प्रत्येक इन्टेरेस्ट को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर ।

"Every interest should be represented in the Telephone Advisory Committee, including important smuggling elements."

तो दह हजार कनेक्शन हो जाते हैं। राम लाल नारंग को जार्ज फर्नान्डीज़ ने जब हल्ला मचाया तब उनको हटाया। तो दिल्ली के बारे में और कलकत्ते के बारे में जरा आप लोग खोज कीजिये और बताइये। यह दस रुपये का जो नाटक है उस से कुछ नही होने वाला है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि इस विधेयक को पास करने के बाद आप एक उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त कीजिए और जितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं इस तरह के एकानामिक आफेंडर्स को स्मगलरों को, होर्डिंग करने वालों को या जो मटका चलते है, काला बाजार करते हैं उन को, उन सब के कनेक्शन खत्म कर के जो बोनाफाइड आप के अप्लीकेंट्स है उनको टेलीफोन दिलाने का आप प्रयत्न कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like the Minister to help me out of a difficulty. Shri Madhu Limaye has brought out certain interesting constitutional issues relating to this Bill. which I did not anticipate. Now the whole thing flows from the recommendation of the Committee on Subordinate Legislation, and the Government also say that they are bringing forward this Bill on the basis of that recommendation. I would like the Minister to clarify one point before we go further. On what footing do they treat this Bill? This is very important. Ordinarily, I would have gone by article 117(2) of the Constitution which expressly and very clearly says that where fee is levied for a service, it is not a tax, and so it is not a money Bill, it is not a Finance Bill. Therefore, it could have been done by a mere notification of the Government, without coming to this House for any particular legislation. It was done before, and I think it was quite right and proper. It is my opinion. But by accepting this recommendation of the Committee on Subordinate Legislation, over which our worthy colleague, who is now also the Chief Whip of the ruling party, Shri Vikram Mahajan, is the Chairman, it is now on a different footing so that it needs special legislation by this House The question is whether that brings this Bill under article 265, as Shri Madhu Limaye contends.

श्री मधु लिमये : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि वह मेरी राय न मानें 265 के बारे में लेकिन फी लगाने के लिए भी अथोराइजेशन चाहिए। सबार्डिनेट लेजिस्लेशन ने उस को टैक्स नहीं माना है।

This is a parent Act which does not contain any specific authorisation for levying this fee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If it needs legislation, which means treating it on a different footing, almost on a level of tax, not a fee, then will not this Bill attract the provisions of article 117 which will need the President's recommendation even for introduction? May

be not. This may not involve expenditure from the Consolidated Fund of India. But as a financial Bill, it needs the President's recommendation. Now, here, you are treating it as an ordinary Bill. This is my difficulty.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKER DAYAL SHARMA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the point raised by Mr. Limaye and pointed out by you is an important one. The only thing is that here I have come before the House under List I, item 31 read with item 96. If you kindly see the Seventh Schedule, List, it talks about taxes in earlier items and, then, in the end, there are items 96 and 97 which are almost residuary.

Item 96 says:

"Fees in respect of any of the Matters in this List, but not including fees taken in any Court."

Then, Item 97 says:

"Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those lists."

Here, I am referring to Item No. 96.

Then the Supreme Court in case after case has distinguished between a fee and a tax. I quote:

"The Supreme Court in the Commissioner of Hindu Religious Endowments Madras v. L. T. Swamiar of Sirur Mutt, pointed out the difference between a tax and a fee. A tax, as defined by Latham, C. J. in Mathews v. Chicory Marketing Board is compulsory exaction of money by public authority for public purposes enforceable by law and, as pointed out by the Supreme Court, is generally defined to be a charge for a special service rendered to individuals by some governmental agency."



That is the main thing. Then, it says:

"It is a sort of return or consideration for services rendered and, therefore, it is necessary that the levy of fees should on the face of the legislative provision be correlated to the expenses incurred by Government in rendering the services. No doubt, both tax and fee are compulsory exactions. But the difference between the two lies in the fact that a tax is not correlated to particular service rendered but is intended to meet the expenses of the Government and a fee is ment to compensate the Government for expenses incurred in rendering services of a special nature to the persons from whom the fee is collected."

Consequently, there cannot be two opinions. You will agree with me that this is a case of fee. Here the governmental agency for the services rendered is levying the fee. Its correlation becomes clear because here is a form that is printed, a form that is mechanically numbered and then a record of forms is kept. Not only that. It enters into correspondence with those who have registered themselves. The register of forms is kept. The replies have got to be sent. So, here, it is not a tax. A person who wants to avail of the service which is being rendered by this governmental agency, he comes to the governmental agency, puts forward the application and, for that application, here is the service rendered by the governmental agency. Here this difference also remains.

Secondly, you have pointed out whether we should have come to the Lok Sabha. Here the position has been that, in 1969, when it was thought of, we were getting a large number of applications, most of which were not genuine, and somehow the same person had been putting up application after application and the governmental agency, the P & T Department, had to maintain the bogus list. You will agree with us that we have to decide as to where the telephones are

[Dr. Shanker Dayal Sharma]

to be located and where the exchanges are to be located. The planning of the whole system is to be done, and where we have spurious applications, it creates complications. Consequently, it was felt that it should be done, a form should be adopted and a fee should be levied. The Law Department was consulted and the Law Department opined that we could do it.

Coming to the point as to why we came here, you will kindly accept my proposition that a Committee of the House deserves all considerations. The Committee on Delegated Legislation came out with the opinion that it would be better, it would be correct, if we want to continue to levy it, to come to the House. The words which were read out by Mr. Madhu Limaye were very significant. The words were 'continue the levy of the fee'. That is why we have come. It is out of consideration, regard and respect for the House, and there is nothing wrong if, for fee also, whenever we want to levy a fee, because it is a governmental agency, we take the authorisation from the House in accordance with the wishes of the Committee on Delegated Legislation. I would go a step further and say this. I agree with Mr. Madhu Limaye that, when a Committee of the House comes out with a suggestion, it is the duty of the Ministry concerned to come to the House at the earliest. There has been some dereliction of duty in the delay and I plead guilty for it. I want the House to excuse us for the delay because nothing else was meant.

SHRI MADHU LIMAYE: You have made a good beginning.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): It was a commendable maiden performance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not want to obstruct the discussion. May I say that we very much appreciate this kind of attitude on the part of Dr. Sharma who is a new Minister—this kind of regard and respect for a Committee. This is a very healthy and very refreshing attitude when the Government is so responsive to the recommendations of a Committee. But there is also another thing which I may point out. A Committee makes recommendations; not only this but it may be the Estimates Committee or the Public Accounts Committee or the Committee on Public Undertakings, and the Government considers....

SHRI MADHU LIMAYE: Or the Assurances Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever it is. The Government considers all those recommendations; some they find acceptable and some they do not find acceptable; but that is up to them. But in this case Dr. Sharma says that any recommendation of a committee must be respected. That is why they are very happy. The main question is whether it is necessary—I am talking about the principle—, whether it is necessary to come before this House with a Bill to obtain a legislation from this House for levying a fee. I am not disputing that this is a fee. If, by this, you set this precedent—I want this to go on record—, if, by this, you set this precedent, then for every fee that the Government wants to levy hereafter—because the other day, in the last Session, we had the discussion about raising of the railway fares and freights in this House; and I had given my ruling that for raising of fares, freights or fees for services rendered, it does not need to come here....

SHRI VAYALAR RAVI: He is only continuing the levy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the ruling. It is the courtesy of the Minister that he came here. He could have done it simply by a notification and this House could do precious little about it. But, if by this we want to go on record that for every levy the Government want to levy, it has to come before the House with a legislation, that is a different matter. It is for the House to decide.

SHRI MADHU LIMAYE: Express authorisation is the crux of the matter.

DR. SHANKAR DAYAL SHARMA: I have come for the authorisation by an amendment to the section. I might mention that the idea was....

PROF. MADHU DANDAVATE: You have created difficulties for your colleagues.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why you are all happy. Dr. Sharma is new to this Ministry.

DR. SHANKAR DAYAL SHARMA: One should not talk about cneself, but, having been a Minister for 16 years in a State and Law Minister for 13 years, I have always followed the principle that so far as the House is concerned, it must be given and its committees must be given the greatest respect and it does not make any complication Therefore, at least I feel that way. I should not treat it as any difficulty.

श्री नवल किशोर सिंह : (मुजफ्फरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय तार सशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। अभी जो चर्चा हुई है उससे पता चला कि सरकार ने कमेटी आफ सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की एक अनुशंसा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है और इस कारण इस लेवी को लगाने के लिये अधिकार प्राप्त करने के लिए सदन के सामने आई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 1969 में जो यह 10 रुपये की फीस ली गई थी, इस को पाच वर्ष हो चुके है, इस बीच में बहुत सी नई बाते हुई हैं, मंहगाई भी बढ़ी है, इस लिये इस फी को भी और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये। खास कर जब मैं यह देखता हूं कि आज लोगों को टैलीफोन रखने का एक शौक पैदा हो गया है, तो लोगों के इस शौक से सरकार को भी कुछ फायदा उठाना चाहिए—और ज्यादा अच्छी सेवायें देने के लिए। इस लिये मे सुझाव दे रहा हू कि इस 10 रुपये को बढ़ा कर अगर आप 500 रुपये भी कर दें तो कोई हर्ज नही है, क्योकि जो सस्थान टेलीफोन रखते हैं, उन की माली हालत ऐसी होती है कि उन के लिए 500 रुपए की भी बहुत कीमत होती है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हू कि इस सुविधा के अधिक विस्तार की आवश्यकता है। अभी कुछ वर्ष हुए—एक नई पद्धति चली—ओन–योर–टैलीफोन–और उस के लिए 5 हजार रुपये का शुल्क रखा गया लेकिन अब इन पांच वर्षों मे ये पाच हजार रुपये भी ऐसे लोगो के लिये न के बाराबर हैं जिन्हे टैलीफोन चाहिये। यहां तक कि आज हम देख रहे हैं कि इस ओन–योर–टैलीफोन योजना के लिये भी आपस मे प्रतियोगिता चल रही है, इसके लिये भी लम्बी कतार है, वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। मैं चाहता हू कि सरकार इस पर विचार करे कि क्या कोई और स्पेशल कैटेगरी ऐसी हो सकती है कि जिस में ओन–योर–टैलीफोन के लिये 5 हजार रुपये बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दिये जाये।

SHRI NOORUL HUDA: All the users of telephone should pay Rs. 10,000?

श्री नवल किशोर सिंह : मैं जिन लोगों के लिए 10 हजार कह रहा हूं, उन के लिये यह धनराशि कुछ भी नही है। आप कभी गरीबो की तरफ से बोलते हैं और कभी पूंजीपतियो की तरफ से भी बोलने लग जाते हैं।

If you cannot understand Hindi, it is not my fault. You should use your ear-phone and then comment on what I am saying.

SHRI NOORUL HUDA: Please do not teach us Hindi.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA: I would advise you to use your ear-phone system.

[श्री नवल किशोर सिंह]

तो मैं कह रहा था कि स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिये 10,000 रु० की। जो इतना रुपया दे सके वह ओ० वाई० टी० में टेलीफोन पा सकें। मैंने जानबूझकर यह बात कही है क्योंकि हम लोगों के पास इस बात की सिफारिश आती है कि हमें टेलीफोन चाहिये। मैं जानता हूं जो लोग टेलीफोन मागते है उस में ऐसे लोग भी हैं जिन के लिये 10,000 रु० में भी ओ० वाई० टी० लेना मुश्किल नहीं है। जब तक ऐसी कोई कैटेगरी नहीं रखते हैं तो वह लोग क्या करते है। करप्शन शुरू कर देते हैं, यानी वह रुपया दूसरी तरह से खर्च कर के टेलीफोन पा जाते है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिये एक व्यवस्था कर दें, और साथ-साथ आप की आय भी बढ़े इस का भी प्रबन्ध करें। मेरी यह इच्छा है कि सरकार की आमदनी इस खाते में बढ़े। क्यों बढ़े वह मैं बता रहा हूं।

मैं एक उदाहरण देता हूं मन्त्री जी को। बिहार में बरौनी एक जगह है, बरौनी–बेगुसराय इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स है, वहां आयल रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर का कारखाना है, थर्मल पावर स्टेशन है, और सैकडों छोटी–छोटी मिडिल इण्डस्ट्रीज है। लेकिन आप अगर पटना मे बरौनी बात करना चाहें तो बात नही कर सकते। दिक्कत यह है कि जब बिहार के अधिकारियों ने योजना बना कर भेजी नये टेलीफोन एक्सचेंज की तो पी० एण्ड टी० बोर्ड पैसे की कमी की वजह से उस योजना को स्थगित कर देता है। बड़ा ताज्जुब होता है कि बरौनी–बेगुसराय काम्प्लक्स में एक अच्छा टेलीफोन एक्सचेज नही बना सकते। कोई इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि सरकार के पास इस बात के लिये पैसा नहीं है। सारे भारत में क्लाथ प्रोडक्शन के सेन्टर्स को छोड़ कर, जैसे कानपुर, और अहमदाबाद को छोड़कर, मुजफ्फर पुर सबसे बड़ा सेंटर है सारे भारत में जहां से 50 करोड़ रु० का सालाना कपड़े का रोजगार होता है। लेकिन मुजफ्फरपुर से कलकत्ते के संचार की व्यवस्था नहीं है। और लाख मेरी कोशिश करने के बाद भी पैसे की कमी की वजह से संचार की व्यवस्था नहीं हो सकी व्यापारिक सुविधा नहीं मिल सकी। मैं ने इसलिये लेवी का जिक्र किया कि अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार पैसे की व्यवस्था करे और जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उस योजना को सरकार पूरी करे।

**श्री ओंकार लाल बरवा (कोटा) :** मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी माननीय नवल किशोर सिंह ने कहा कि 5,000 या 10,000 रु० लेवी रख दो जाय मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं क्योंकि इन्होंने तो काफी कमा लिया सफेद टोपी की आड़ में। लेकिन अगर किसी गरीब को देहात से किसी को अस्पताल ले जाने के लिये एम्बुलेंस के लिये टेलीफोन करना हो तो वह क्या करेगा? वह कहा पर जायगा। आप अपनी तरह न सोचिये क्योंकि आप को तो फ्री टेलीफोन और फ्री काल मिली हुई है। आप क्यो नही अपने ऊपर लेवी लगाते?

**16.56 hrs.**

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the chair*]

इस विधेयक मे तीन बातें लिखी हुई है। इन 10 रु० से कोई फर्क नही पड़ने वाला है पहली बात यह लिखी है कि टेलीफोन व्यवस्था के विस्तार की सही योजना बनाने की दृष्टि से प्रतीक्षा सूची को अधिक यथार्थ बनाया जाय। यह क्या यथार्थ बनायेंगे 10 रुपये में बताओ। क्या इस व्यवस्था से टेलीफोन जनता को आसानी मे मिल सकेंगा? और जहा तक ब्लैक मार्केटियर्स का सवाल है उनके लिये रुपयों की कोई कीमत नहीं है, आप हजार रु० भी रख दो तो भी वह टेली–फोन कनैक्शन लेंगे। लेकिन मुसीबत तो गरीब की है जो गांव में बैठा हुआ है और वह इंतजार कर रहा है ऐम्बुलेंस बुला कर मरीज को ले जाय। दूसरा आप का कहना है कि टेलीफोन कनैक्शन के लिये अनावश्यक झूठी मांगों को समाप्त कर दिया जाय।

तो आप को बताना चाहिये कि कितनी मांग है। 10 रु० में कम कर देंगे? इस को या तो काट देना चाहिये, या ज्यादा कर देना चाहिये। आप ने 1967 मे यह सोचा कि 10 रु० लगाना है। 1969 में लगाया और 1974 में विधेयक को ले आयें। क्या है इसका मतलब? पांच साल पहले लाना चाहिये था। कौन रोकता था आपको। लेकिन नहीं। जब-जब सोचते हैं तब तब दीया जला लेते है। पांच साल तक अंधेरे में रहे, तो और रहते। 10 रु० में उजाला करना चाहते हो? पाच साल पहले क्यों नही लाये इसको? तीसरी बात कहते हैं कि टेली-फोन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर विभाग को आवेदनो को रजिस्टर करने में, प्रतीक्षा-सूचियां बनाये रखने मे तथा पत्र-व्यवहार मे, जो उसे आवेदको के साथ उन के मामलो की स्थिति के बारे में तब तक करना पड़ता है जब तक कि मांग पूरी करने का समय नही आ जाता, कुछ खर्च करना पड़ता है। तो क्या यह भी 10 रु० के मत्थै है? आप अलाउन्स भत्ता किसके लिये लेते हो? क्या मतलब है 10 रु० मे पैट्रोल का खर्चा ले लोगे। सरकार के खर्चे पर पैट्रोल जितना चाहते हो भराते हो। क्या वह सारा खर्चा इसी से निकालोगे। ऐसी बात नही करनी चाहिये जो गरीब को बुरी लगे। आप सरकार की कार दूढ़ो और हमारे ऊपर टैक्स लगाओ। उस कमेटी ने पहले भी लिखा है कि सविधान का उल्लंघन नही है, लेकिन पहले अपने यात्रिक तारो को तो सुधारो। जहा पहले किसी व्यापारी का 300 रु० का बिल आता था अब 900 रु० का आने लगा। कोटा राजस्थान मे जिस व्यापारी का 300 रु० का बिल आता था महीने में अब 900 रु० आने लगा, और जब हमने अधिकारियों को लिखा तो उन्होने कहा कि विचार किया जा रहा है। और बिल पहले ही जमा करा लो। जब लोगों ने शिकायत की तो कहते हैं हम ने क्लर्क को पकड़ा है, लेकिन उसके द्वारा की हुई गलती पर उस को कोई सजा नहीं, और व्यापारियों को सजा मिल गई। तो ऐसे खराब यन्त्र लगाने से क्या मतलब है? वैसे ही जेब काट लो किसी की हम ने कहा कि आप 300 रु० जमा करा लो और अगर यंत्र की गलती हो तो 600 रु० माफ कर दो। उन्होने कहा कि पैसा तो 900 रु० ही जमा करना होगा। अगर गलत निकला तो वापस कर दिया जायेगा। अब आप बताइये कएं में डाला हुआ रुपया वापस मिलता है क्या? जो हम चनाव के लिये 500 अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं वह साल-साल भर तक नही मिलती है।

छ. सौ ज्यादा ले लिए और उन्होंने दे दिए तो पता नही कितने चक्कर उनको इसको वसूल करने में लगाने पडेंगे। दस रूपए जो आपने फार्म के रखे हैं इतने के तो उनके जूते ही घिस जाएंगे तब भी उनको पैसे वापिस नहीं मिलगे।

**17 hrs.**

अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। कोटा में अभी तक डायलिंग सिस्टम बिल्कुल भी नही हुआ है। वह इंडस्ट्रियल एरिया है। भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्ज है, और भी बहुत से कारखाने हैं उसको आपने दिल्ली के साथ कनैक्ट नही किया है अभी तक जयपुर से जोधपुर और जयपुर से कोटा जो इंडस्ट्रीयल एरिया है नही मिलाया गया है डायलिंग सिस्टम वहां नही किया गया है। मशीने फिट हो गई है, सब कुछ हो गया, पी एम जी देख कर आ गए और कह गए कि 1975 में हो जाएगा लेकिन इतजार में बैठे है। अब आप ही बताओं क्या करें। बूंदी की पहले आबादी पचास हजार थी अब एक लाख हो गई है। वहां पोस्ट आफिस की हालत वैसी ही है जैसी एक बनिए की दुकान की होती है। वैसा उसको आपने बना रखा है। क्या आप वहां पोस्ट आफिस तथा तार घर नहीं बना सकते हैं। उदयपुर की भी यही हालत है जो कोटे की हालत है।

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

भरतपुर जहां से राज बहादुर जी आते है उसको आप देख लें वहां डार्यालग सिस्टम चालू हो चुका है। शायद वह संचार मंत्री रहे है। कोटा उसके मुकाबले में कितना बड़ा है। लेकिन वहा पर नही चालू हुआ है। पहाडिया जी शायद उस में इंटरेस्टिड थे, इस वास्ते हो गया है। यही हालत उदयपुर की है।

श्री ललित नारायण मिश्र बिहार के हैं। रेल मंत्री बनते ही उन्होंने उधर रेलवे लाइन निकालने का आर्डर दे दिया। सैया भए कोतवाल हमें डर काहे का। यही करने वाले हैं। इनको पूछने वाला कौन है। हमें रोते-रोते पंद्रह साल हो गए है लेकिन डार्यालग सिस्टम नही इंट्रोड्यूस किया गया है कोटा में। बूदी के अन्दर डाक तथा तार घर नही बना पाए है। कोई इनको परवाह ही नही है। आर० एम० एस० की हालत देखनी हो तो जा कर 19 डाउन की देख ले। उस डिब्बे में अधेरा रहता है। जो सार्टर है वे मोमवत्ती जला कर डाक छाटते हैं और इधर उधर पत्र चले जाते है। क्या रेल का किराया इस वास्ते आप इतना ज्यादा लेते हैं।

मुझे पत्र आया कि मुझे एडवाइजरी कमेटी में ले लिया गया है। मैंने इसके लिए धन्यवाद किया। लेकिन छः महीने हो गए है, उसकी एक भी मीटिंग नही हुई है। ऐसी कमेटी आपको ही मुबारिक हो। अगर मीटिंग हो तो हम तो आपको आने जाने का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रेलवे पास है। फिर भी आप मीटिंग नहीं बुलाते है इस वास्ते कि आपके अफसरों की उस में मिट्टी प्लीद होती है।

पेपर जो क्लास 3 और क्लास 4 के मर्मचारियो के पास हिन्दी में आने चाहिए अंग्रेजी में आते है। गरीब आदमियो को फार्म तक नहीं मिलते है। डाकखानों में दौड़े फिरते हैं लेकिन मिलते नही हैं। यह हालत है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोटा में डायलिंग सिस्टम किया जाए। बूदी में पोस्ट एंड टैलीग्राफ आफिस दिया जाए। आप की मशीनें कितना गलत काम करती हैं इसकी हालत आप दिल्ली में ही देख लो। भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान से आए हैं। वह 78 नार्थ एवेन्यू में रहते हैं। छः दिन से उनका टेलीफोन खराब पड़ा है। चार दिन पहले रिपोर्ट करवा दी थी। अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जयपुर की लाइन मिलानी हो तो चार चार दिन लग जाते हैं लेकिन मिलती नहीं है। दिल्ली से जयपुर मिलता ही नहीं है। दिन भर आप डार्यालग करते रहो, आपको मिलेगा ही नहीं। इसको क्या आपने अजायबघर बना रखा है। इन चीजों को आप दुरुस्त करें।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने हमारी एक बात मानी है। मैं कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन मे था। मैंने उस में यह सवाल उठाया था। यह ला की बात है। मेरी जो आबजर्वेशन थी उन में से एक बात को माना गया है और एक बात आप भूल गए है। मैं जानना चाहता हूं कि 1970 के बाद आपने इस तरह से कितना रूपया वसूल किया है। जब हमने आबजेक्शन रेज की और कह दिया कि आप डिसकंटिन्यू कर दे और आपने वादा भी किया तो फिर क्या वजह हैं कि उसके बाद भी पैसा वसूल किया गया। कमेटी आन सबार्डिनेट लैजिस्लेशन में यह कहा गया था :

"The Committee note the assurance by the Minister of Communications that the Indian Telegraph Act will be amended to implement the recommendations and an amendment Bill will be brought before Parliament sometime in 1974 along with some other important amendments to the Act. The Committee however, desire the Ministry to discontinue the levy of Rs. 10 per application till such time an express authorisation for the same is made in the principal Act."

आपने एश्योरेंस दे दी और कह दिया कि हमने जो रिकवरी की है वह गलत हुई है लेकिन अब डिसकटिन्यू कर देंगे और तब तक कटिन्यू करेंगे जब तक हम बिल नही लाते है।

When we have already said this, you will discontinue the recovery.,

तो मै पूछना चाहता हू कि 1970 के बाद जिन लोगों ने एप्लीकेशन की तब जो आबजेक्शन हो चुकी थी उसको आपने किस प्रकार वेव कर दिया और पैसे ले लिए। एप्लीकेशन में कोई खास बात नही है इसलिए इसको हम दरगुजर करते है। लेकिन दस रुपये क्यों ले लिए?

एग्जैक्टिव ने पहले कानून को एमेंड क्यो नही करवाया? क्यो कानून की अवहेलना की, डैलीगेटेड पावर्ज का दुरुपयोग क्यों किया? कमेटी द्वारा आबजेक्शन ही नही किया गया लेकिन इप्पोजिशन पर आपको रिप्रिजेंटशन भी मिली थी। मै आपको पढ कर बताता हू .

"The matter was raised by the members in the House on a number of occasions and in reply to a question on 16 April 1974, the Minister of State for Communications stated that the Government had received a few representations aainst the imposition of the fee".

This has been brought to notice.

जो पावर्ज आप को दी जाती हैं उनका दुरुपयोग आप कर लेते हैं और डैलीगेशन का सहरा ले कर कानून बना देते है और रिकवरी शुरू कर देते है। जो इसको आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह सारी पढ़ कर मैं आपको सुनाना नही चाहता लेकिन एक बात सुनाना चाहता हूं। लाखों एप्लीकेशन्ज आज भी आपके पास पैडिंग हैं:

"The Government have also admitted that people have been on the waiting list for as long as 9-10 years. In the metropolitan cities, the Committee regret to observe that there is a wide disparity between the projections for demand for telephones and the actual achievements".

नौ नौ और दस दस साल हो गए हैं लेकिन आपने ध्यान नही दिया? आप कहते है कि हमारे पास स्टाफ नही है। लेकिन कमेटी ने आबजर्व किया है:

"The Committee therefore feel that the whole planning has been unrealistic. They would, therefore, like to emphasise that plan projections should be based on a sound, scientific forecast, the demand of telephones and the capability of Government to provide telephone connections on the basis of their production capacity as well as other related issues".

सरकार दस दस साल तक टेलीफोन नहीं देती है। उस के पास दस दस साल की एप्लिकेशंज पड़ी हुई हैं और रुपया भी उस के पास जमा पड़ी हैं। आप के अफसर क्या करते हैं? आप के सामने मै शिकायत रखना चाहता हूं कि वे लोग बिजिनेसमैनो से मिले रहते हैं और करोंड़ो रुपयों की चोरी होती हैं। इस लिए टेलीफोन आपेरेटरों की चोरी जो पकड़ने की कोशिश की जाए।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह दूसरा रूप धारण करके, पगडी बांध कर, कही जाए, तो उन को पता चलेगा कि पैसे के बिना कोई उनका काम नही करेगा। कमेटी ने कहा हैं:

"The Committee further feel that conscious effort should be made by the P & T Department to inculate in their staff a sense of public spirit and public service."

[श्री मूल चन्द डागा]

टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट के स्टाफ़ की तन्ख्वाहें बढ़ाये, लेकिन वे लोग अपना काम भी मुस्तैदी और ईमानदारी से करें। उन लोगों ने होली-दीवाली पर पैसा मागना भी शुरू कर दिया है। मेरे मित्र कहते है कि यह छोटी बात है।

**सभापति महोदय**: आप इस विधेयक के बारे मे कहे।

**श्री मूल चन्द डागा** : विधेयक के बारे में मैं ने अर्ज किया है कि दस रुपये की फ़ीस के बारे में मुझे कुछ नही कहना है। वह विद रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट लागू हो सकता है। कमेटी ने यह भी आबजरवेशन किया था कि इसको डिसकन्टिन्यू किया जाये। आप से उसकी अवहेलना की है---मैं तो उस को अवहेलना ही कहूंगा। वह विधेयक छोटा सा -वह दस रुपये लेने के बारे मे है। वह बात ठीक है। लेकिन इस्टीमेटस कमेटी ने आप के डिपार्टमेंट की जों भूरि भूरि प्रशसा की है. आप उस को पढ़ें और देखे कि क्या हालत है।

**श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़)**: सभापति महोदय, इस में कोई सन्देह नहीं है कि विषय-वस्तु की दृष्टि से इस विधेयक पर कहने को बहुत कम है। परन्तु यह भी ठीक है कि इस विभाग में जैसी अकुशलता मनमानी और लापरवाही चल रही है, जब जब अवसर आये, तब तब उन को सुनाते अवश्य रहना चाहिए। तभी इस में कुछ सुधार की सम्भावना हो सकती है। माननीय श्री शर्मा से भी मेरा निवेदन है कि इस संबंध में बड़ी सतर्कता की अवश्यकता है।

संस्कृत साहित्य में हाथी के लिए एक शब्द है "गम्भीरवेदी"। "गंम्भीरवेदी" का अर्थ यह है कि हाथी थोड़ी बहत छेड़-छाड़ से नहीं मानता है, बल्कि जब तक अंकुश अन्दर न चला जाये, जब तक उस को गम्भीरता से अनुभव नहीं होता है। यह विभाग तो बिल्कुल ही निरंकुश है। उस को चाहे जो कुछ भी कहा जाये, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर, अकबर ने एक बात कही थी, जो इस विभाग पर फ़िट होती है। "सुनाओ जो चाहो सुन लेंगे, मगर मुतलिक नही समझेंगे। तबियत तो खुदा जाने कहां है, मगर कान हाजिर है"। जो कहा जाता है, उस को सुन लिया जाता है, उस पर अमल हो या न हो।

मैं अपने अनुभव की एक बात बताना चाहता हूं। तीन वर्ष पहले मैं ने अपने गांव मडराक, ज़िला अलीगढ़. में अनुरोध कर के इस विभाग से पब्लिक टेलीफ़ोन लगवाया। अलीगढ़ वहां से दस किलोमीटर है और हाथरस वहां से पच्चीस किलोमीटर के करीब होगा। जब यह टेलीफ़ोन लगा, तो हाथरस के टेलीफ़ोन एक्सजेंच से उस का सबंध कर दिया गया। लगभग तीन वर्ष ही मुझे यह कहते हुए हो गये हैं कि उस का सबंध अलीगढ़ के साथ जोड़ दिया जाये। एक मीटिंग में श्री बहुगुणा और श्री पहाडिया दोनो थे। जब मैं ने कहा कि अलीगढ नजदीक है, उसके साथ संबंध जोड़ा जाये, ताकि अगर कोई शिकायत हो, तो वह जल्दी से ठीक हो सके, तब श्री बहुगुणा ने अधिकारियो को कहा कि यह वास्तव में बहुत उचित बात है। उस के बाद डेढ़ वर्ष तक कोई खबर नही ली गई। मैं इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का बराबर सदस्य रहा हूं। मैं ने दोबारा भुवनेश्वर में याद दिलाया। लेकिन अभी तक कोई परवाह नहीं की गई है।

अलीगढ़ में अपने आप डायलिंग के लिए एक्सचेंज की बिल्डिंग बन चुकी है। वहां यह दयनीय स्थिति है कि आप टेलीफ़ोन को कान पर रखेरहिये, वे नम्बर देने के लिए उठायेंगे ही नहीं। और अगर आप ने तंग आ कर यह कह दिया कि इतनी देर लगाते है, जल्दी क्यों नहीं उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप का नम्बर नहीं मिलेगा। बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन अर्थाभाव के कारण या किसी और कारण से इस दिशा में प्रगति नहीं हो रही है। इस लिए मंत्री महोदय कृपा कर के उधर ध्यान दें। वहां एक

बड़ी यूनिवर्सिटी है और बड़े बड़े कालेज हैं। वह एक औद्योगिक शहर है। वर्तमान स्थिति में वहां नाना प्रकार की असुविधायें होती हैं।

कोई तार भेजता है कि मैं फलां ट्रेन से फलां टाइम पर आऊंगा। लेकिन पहुंचने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है और तार बाद में पहुंचता है। ऐसे दसियों मामलों का मुझे अनुभव है।

दिल्ली में, चिराग के नीचे, देखिए।

197 को टेलीफोन कीजिए और आप घंटी सुनते रहिए। सवेरे के समय, छ. और सात बजे के बीच मे, एक एक, या डेढ़ मिनट के बाद उठाएगें। और अगर उन से कहा जाए कि इस समय आफिस का टाइम थोडे हो है, आप जल्दी जल्दी क्यों नही उठाते हैं, तो कहेंगे कि आप को क्या पता है, यहा बड़ा रश है—छ. सात बजे सवेरे बड़ा रश बताते हैं। जब श्री बहुगुणा से इस बारे में कहा, तो उन्होंने स्वय कहा कि कलकत्ता में डेढ़ मिनट तक स्वय टेलीफोन पकड़े बैठा रहा, लेकिन किसी ने नही उठाया।

ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय इस में सुधार के लिए एक्शन नही ले सकते है। यह असहय स्थिति है। इन त्रुटियों का मैं ने उल्लेख किया है, वर्ना इस विधेयक के बारे में मुझे विशेष कुछ नही कहना है।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Sir, a lot has been said about this Bill. While I welcome this Bill, I have got some suggestions to make and I hope the Minister will kindly look into them. I should like to suggest that the charges for any application for providing any telegraphic line, appliance or apparatus are moderate and not exorbitant. But they should not be enhanced as soon as the Bill is passed.

The Government shuold also look towards the efficiency of their highly paid officers and see that they work with zeal and honesty and not interpret the law we make here as they wish and like. They should keep the interest of the public and subscribers in mind.

There should be advisory committees in every divisions, apart from the P & T Board, consisting of legislators, Mukhiyas and representatives of the public and the subscribers for guidance and proper application of law and the powers that are being entrusted to the department under this Bill. The committee should meet at least once quarterly to settle the matters locally and no *parvies* should be entertained. There is already a lot of corruption and by this Bill we are giving more powers to the officers of the department. The *bona fide* subscriber is harassed like anything and the person who bribes gets his work done in no time.

I remember I attended a meeting of the Telephone Advisory Committee in July 1973 but I have not been paid my TA Bill for the last one and a half years. This is the efficiency of the Posts & Telegraphs Department.

There are lots of public complaints against the present General Manager of Posts and Telegraphs Department, Delhi but no action has been taken against him as yet.

No one can get refund of the excess amounts either realised by the Telephone Department from subscribers under the threat of disconnection or the excess amounts deducted from the salaries of MPs. It takes six months to one year to get refund, in spite of continuous correspondence and sometimes even those letters do not have any effect. This should be seriously looked into by the Communications Minister and he should tone up the administration. After all, these highly paid officials are first public servants than anybody else.

Sine the levy and collection of any charges cannot be challenged in a court of law, the departmental head should settle such matters amicably across the table. They can do it if they want to.

Now I come to the grant of telephone connections. It is very difficult for a *bona fide* applicant to get a telephone connection even if he observes all the formalities but a bogus person can get it within a week, if he pays Rs. 3,000 to 5,000 as bribe to the departmental officials. Even under the Own Your Telephone it has become difficult to get a telephone without paying a bribe to the department concerned, though a heavy sum is paid for that in advance.

The telephone system in Delhi, the Capital of the country, has deteriorated so much that telephones of even the MPs are often found dead and when complaints are lodged the departmental head simply does not bother. Why can't this be checked and the position improved? I hope the hon. Minister would take note of what I have said on the floor of the House and do something about it, because I am voicing the views of the general public as their representative.

The Committee on Subordinate Legislation of Lok Sabha have recommended that the charges should be levied in such a way that they do not become a burden on the subscribers and the general public. This should be implemented.

As everybody knows, the billing system of the Telephone Department is very defective and should be streamlined in such a way that over-billing of trunk calls is stopped forthwith. Now even MPs are not left out by the P & T Department and excess charges are deducted from their salaries and refunded only when repeatedly pressed for refunds.

The same is the case with telegrams, which do not reach their destinations in time. Sometimes the telegrams are returned with letters of regret. This defeats the very object of a telegram, which is sent by a person only in case of an urgency. The Minister should understand all this and tone up his administration. Otherwise, who will listen to the grievances of the general public after this Bill is passed, giving powers to the Posts & Telegraphs Department?

*SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris): Mr. Chairman, Sir, I wish to say a few words on the Telegraph (Amendment) Bill. This amending Bill is no doubt small. But that does not diminish its significance.

The Telegraphs Act of 1885 is sought to be amended through this Bill. In other words, 89 years after the enactment of the parent Act, the Government have thought it necessary to bring forward this Bill. Sir, the parent Act was enacted by the Britishers in the year 1885 and it is inexplicable to me how there has been no need so far to amend this Act of last century. I would like to ask whether the Government is not ashamed to bring forward this small amending Bill in 1974 to the parent Act enacted in 1885?

Here also, the Government *suo motu* have not brought forth this amending Bill. It was left to the Subordinate Legislation Committee of this House to point out that the Government have exceeded the powers accorded to them in the parent Act in the matter of collecting a fee of Rs. 10 for a telephone application. The Report of the Subordinate Legislation Committee was submitted in 1971 and the Government have taken three years to introduce this Bill as suggested by the Committee. Dr. Shankar Dayal Sharma regretted the delay and frankly admitted that the Government should have brought forth this Bill much earlier. He has assumed charge of this Ministry only recently I would like to know whether his predecessors were sleeping all these years. I would also like to know what was the Department doing all these years. This

*The original speech was delivered in Tamil.

kind of unnecessary delay only proves the contention that the officials of the Government are usefully negligent in their duties.

There is also another reason for this kind of inordinate delay in bringing forward the necessary amendments to the parent Acts. The Central Government have concentrated all the powers in their hands and in consequence they do not have time to formulate amending legislations to the parent Acts, even when they happen to be very essential. Otherwise, the parnt Act of 1885 would not have been sought to be amended in 1974. Does it mean that the parent Act of 1885 has not required amendments so far? I would like to know from the hon. Minister when he proposes to bring forward a comprehensive amending legislation for this parent Act of 1885, so that the requirements of the present days can be met.

Many hon. members who preceded me referred to the inefficient working of the P & T Department. I would like to narrate my personal experience. The telegram which I have in my hand was sent from Madras on 12th November and it reached me on 17th November, that is, five days after the telegram was sent from Madras. Even a letter would have reached me on the 13th or on the 14th. I do not think that this is a solitary proof of the inefficiency of the P & T Department

Similarly, even the M.Ps' telephones are no exception to the vagaries of the Department, as has been point out by the Members who spoke before me.

MR. CHAIRMAN: Mr. Gowder, you may continue tomorrow. We now take up Half-an-Hour Discussion.

Shri Madhu Limaye. . .

17.30 hrs.

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

### ISSUE OF AD HOC LICENCES TO MESSERS CADBURY FRY AND MESSRS COCA COLA EXPORT CORPORATION

**श्री मधु लिमये :** सभापति महोदय, सब से पहले तो में आप से यह जानना चाहता हूं कि जो बहस में उठा रहा हूं उस का जवाब कौन देग ? मै व्यापार मंत्री को यहा नही देख रहा हू, उद्योग मत्री से इस बहस का कोई सम्बन्ध नही है...

**डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण)** · व्यापार मंत्री बैठे हुए हैं ? वे यही पर पहले से मौजूद थे। शायद आपने देखा नही।

**श्री मधु लिमये :** सभापति महोदय, यह जो बहस है यह केवल कैडबरी और कोका कोला की बसह नही है वास्तव मे यह बहुत ही व्यापक वहस है। सभापति महोदय, मैंने अपने प्रश्न के द्वारा बरसाती सत्र मे यह सवाल उठाया था कि आप जितने लोगों को इम्पोर्ट लाइसेंस देते हैं, उन का आखिरकार वर्गीकरण क्या है, क्योंकि नित्य नये नाम ससद सदस्यों और जनता को कन्फयूज करने के लिय आप ढूढ निकालते है ? इस समय में एक्चुअल यूजर्स लाइसेंस से ही प्रारम्भ करता हूं —यह आप की इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल की हैण्डबुक है इस मे एक्चुअल यूजर्स लाइसेंस की डफिनिशन दी गई है—

> "Actual Users (industrial) are those who require raw materials, components, accessories, machinery and spare parts for their own use in an industrial manufacturing process."

अब, सभापति महोदय, आप जानते है कि कोकाकोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को 16 लाख रुपये का एक्चुअल यूजर्स लाइसेंस दिया गया। म जानना चाहता हूं कि यह लाइसेंस कोकाकोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को दिया गया था जो 22 कोकाकोला बनाने वाली बोटलिंग प्लांटस हैं उन के लिये कोकाकोला